<u>अतिआवश्यक</u>

राजस्थान सरकार
वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग

क्रमांक :एफ.5(थ–75)कोष/IFMS/पीआरआई/ दिनांक 25/10/16

समस्त कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी,

विषय :– **पंचायती राज कार्मिकों का वेतन भुगतान कोषालयों के माध्यम से किए जाने के संबंध में।**

संदर्भ :– **वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग का पत्रांक 8679–8717 दिनांक 29.09.2016 एवं निदेशालय का पत्रांक 8042–8321 दिनांक 16.09.2016**

महोदय,

बजट घोषणा वर्ष 2015–16 के बिन्दु संख्या 3 की पालना में इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक परिपत्र क्रमांक 7404–8003 दिनांक 14.09.2016 के अनुसार एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली के अन्तर्गत पंचायती राज कार्यालयों व ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा कार्यालयों के पंचायती राज कार्मिकों के वेतन बिलों के कोषालयों के माध्यम से आहरण हेतु नवीन प्रकिया दिनांक 01.11.2016 (माह अक्टूबर पेड इन नवम्बर 2016) से आरम्भ की जानी हैं।

वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम अनुभाग) विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 22.10.2016 के अनुसार "दिनांक 29.10.2016 से 01.11.2016 तक राजपत्रित अवकाश/सार्वजनिक अवकाश होने एवं दिनांक 30.10.2016 को दीपावली पर्व होने के कारण राजकीय कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों (पंचायती राज विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों सहित) माह अक्टूबर 2016 के वेतन एवं भत्तों आदि का भुगतान दिनांक 28.10.2016 को/से करने के निर्देश हैं।

अतः वित्त विभाग द्वारा पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांक 7404–8003 दिनांक 14.9.2016 के क्रम में आंशिक शिथिलन प्रदान करते हुए पंचायती राज कार्मिकों को माह अक्टूबर, 2016 (माह अक्टूबर, 2016 पेड इन नवम्बर, 2016) के संवेतन का भुगतान ऑफ लाईन वेतन बिलों के माध्यम से (पी0डी0 खातों के चैक से) दिनांक 28 अक्टूबर, 2016 को/से किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। यह शिथिलन केवल माह अक्टूबर, 2016 के संवेतन बिलों के भुगतान हेतु मान्य होगा।

भवदीय,

(आशुतोष वाजपेयी)
संयुक्त शासन सचिव